प्रारूप–2(क)

(अनुसूची–3–11 (i) स्नातकोत्तर पाठयक्रम हेतु)

(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

सीट लिविंग बॉण्ड

फोटो

सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र.......... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018, संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई 2023, संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा संशोधन 03 सितम्बर 2025 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

अ मैं चिकित्सा (MD/MS) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

ब यह कि, मेरे द्वारा मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 (संशोधन 02 जुलाई 2024) में उल्लेखित नियम 15 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित **शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय** की स्वशासी समिति को सीट लिविंग बांड राशि एमडी/एमएस पाठ्यक्रम के लिये रू0 3**0,00,000**/– (रू0 तीस लाख) भुगतान करने का वचन देता हॅू /देती हॅू **।** निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की स्थिति में त्याग पत्र दिये जाने/निष्कासन पर पाठयक्रम की पूर्ण अवधी/ शेष अवधि के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान करने का वचन देता/देती हॅू।

स यह कि सीट लीविंग बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस नहीं किये जायेंगें।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :–

1....................................

2....................................